राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक :-- प. 14/35/रामले/परिपत्र/ 1845-1920 दिनांक :- 1-6-16

1. जिला कलक्टर (राजस्व लेखा)
   समस्त, राजस्थान।
2. सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड–।
   संभागीय आयुक्त कार्यालय
   समस्त राजस्थान
3. सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड–।
   आंतरिक लेखा जांच दल(आय)
   जिला कलेक्ट्रेट ----------
4. सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड–।/।।
   तहसील राजस्व लेखाकार,
   राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

विषय :–भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्गो हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन के संबंध में।

प्रसंगः– राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर का परिपत्र क्रमांक 02 दि0 28.04.16, प.1 (4)राज–6/01 पार्ट/ 8 दि0 30.7.14 तथा प.6 (28) रेव–6/2014/9 दि0 4.8.14

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्गो हेतु राजकीय भूमि आवंटन के संबंध में परिपत्र के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करावें।

संलग्न–उक्तानुसार

भवदीय,

(हरि सिंह मीना)
अति0 निबन्धक (वित्त एवं लेखा)
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प0 1(4)राज-6/2001/पार्ट/22 जयपुर, दिनांक 28-04-16

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

-:परिपत्र:-

विषय: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु निःशुल्क राजकीय भूमि आवंटन के संबंध में।

मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 70/2016 दिनांक 14.04.2016 के क्रम में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए राजकीय भूमि दिनांक 21.01.1976 से निःशुल्क आवंटित करने एवं आदिनांक बकाया राशि माफ की स्वीकृति दिये जाने तथा भविष्य में राजकीय भूमि निर्धारित शर्तों पर निःशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त निर्णय की क्रियान्विति के अनुसरण में विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(4)राज-6/2001/5 दिनांक 23.06.2004 को आंशिक रूप से अधिष्ठित करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राजकीय भूमि निम्नांकित शर्तों पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण (Widening) हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग के संरेखण (Allignment) में आ रही राजकीय भूमि का निःशुल्क आवंटन इस शर्त के साथ किया जावेगा कि राज्य की विभिन्न भूमिगत परियोजनाओं के लिए जब भी आवश्यकता होगी उपयोगिता गलियारा (utility corridor) का अधिकार राज्य सरकार का पूर्व मांग पर निःशुल्क रहेगा।

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आवंटित की जाने वाली भूमि के संबंध में समस्त दायित्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के होंगे।

3. यदि कोई सार्वजनिक सम्पत्ति या राज्य सम्पत्ति सड़क सीमा में स्थित है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा नियमानुसार मुआवजे का भुगतान राज्य सरकार को करना होगा।

4. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आवंटित की जाने वाली भूमि पर किसी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधि का संचालन नहीं किया जायेगा। यदि कोई वाणिज्यिक गतिविधि आरम्भ की जावेगी तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भूमि का मूल्य डी0एल0सी0 दर पर अदा करने हेतु दायित्वाधीन रहेगा।

परिपत्र दिनांक 23.06.2004 भारतीय रेलवे को रेलवे लाईन डालने, स्टेशनों के निर्माण तथा अन्य सुविधाओं के विकास हेतु आवंटित की जाने वाली भूमि के संबंध में यथावत लागू रहेगा।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(डॉ0 कुंज बिहारी पण्ड्या)
संयुक्त शासन सचिव

1X4 = 4 12-3

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग।
7. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।
8. मुख्य महाप्रन्धक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जयपुर।
9. मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय उच्च मार्ग जयपुर।
10. निबन्धक, राजस्व मण्डल अजमेर।
11. राविरा, अजमेर।
12. समस्त संयुक्त शासन सचिव/ उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव